

NIVA BUPA HEALTH INSURANCE- RESSURE

1) अस्पताल के खर्चे

कैशलेस के लिए मरीजों को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है ।

2) प्री हॉस्पिटलाइजेशन

अस्पताल में भर्ती होने के पहले 60 दिनों के इलाज के खर्च कवर हैं ।

3) पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन

अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 180 दिनों के इलाज के खर्च कवर हैं ।

4) कमरे का रेंट

अस्पताल में लिए गए कमरे के किराए पर कोई लिमिट नहीं है-डीलक्स सुपर डीलक्स स्वीट सभी कमरे पूर्ण बीमा धन तक कवर ।

5) एम्बुलेंस

एम्बुलेंस के खर्च के रूप में 2000/- प्रत्येक बार भर्ती होने पर मिलेंगे ।

6) ऑर्गन डोनर

अंग-प्रत्यारोपण की स्थिति में अंग प्रदाता के भी अस्पताल के खर्च पूर्ण बीमाधन तक कवर हैं।

7) रिस्टोर या रिचार्ज बेनीफिट

यदि पॉलिसी वर्ष के अंदर पूरी बीमित राशि खत्म हो जाती है तब बचे हुए वर्ष के लिए पॉलिसी का बेसिक बीमा धन पॉलिसी में वापस या जाता है (बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम), यह लाभ पिछली बीमारी, नई बीमारी या अन्य व्यक्ति, तीनों परिस्थितियों में काम आएगा तथा यह सुविधा पॉलिसी वर्ष में अनगिनत बार (Unlimited) उपयोग की सकती है ।

8) नो क्लेम बोनस

पॉलिसी के पूरे वर्ष में यदि कोई क्लेम नहीं आता तब पॉलिसी में 50% बीमा धन बोनस के रूप में बढ़ता है, बोनस अधिकतम 100% ही बढ़ता है । 2 वर्ष में क्लेम ना आने पर बीमित राशि दोगुनी हो जाती है ।

9) फ्री हेल्थ चेक-अप

10 लाख की बीमित राशि पर प्रतिवर्ष 5000 रु तक फ्री हेल्थ चेक-अप मिलेगा ।

5 लाख की राशि पर प्रतिवर्ष 2500 रु तक फ्री हेल्थ चेक-अप मिलेगा ।

3 लाख की राशि पर प्रतिवर्ष 1500 रु तक फ्री हेल्थ चेक-अप मिलेगा ।

10) डे केयर

ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती जैसे : किडनी-डायलिसिस ,हीमो-डायलीसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मोतियाबिंद, साइनस, कई तरह के शिस्ट व टिशू इत्यादि से संबंधित ।

11) एयर एम्बुलेंस

एयर एम्बुलेंस केशलेश के तहत पूर्ण बीमा धन तक कवर है । स्वयं की व्यवस्था के अंतर्गत 2,50,000 रु तक रिफंड भुगतान दिया जाता है ।

12) अल्टरनेटिवे चिकित्सा (आयुष)

आयुर्वेदिक, यूनानी , सिद्ध , होमएओपथी पूर्ण बीम धन तक कवर है ।

13) आश्रित पुत्र एवं पुत्री

पुत्र एवं पुत्री बीमा में 30 वर्ष की आयु या विवाह पूर्व तक कवर हैं ।

14) इनकम टैक्स में छूट

स्वास्थ्य बीमा में दिए गए प्रीमियम पर धारा 80 डी के अंतर्गत छूट मिलती है ।

बीमा में अन्य शर्तें

1 दुर्घटना में कवर पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाता है ।

2 जितनी भी बीमारीयां, चाहे वह सामान्य हों या असामान्य हों वह बीमा प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद से ही कवर होंगी ।

3 कुछ बीमारियाँ बीमा प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद ही कवर होती हैं जैसे मोतियाबिंद नाक कान गले संबंधित कोई ऑपरेशन, पथरी, घुटने का प्रत्यारोपण, हर्निया पाइल्स संबंधित ऑपरेशन इत्यादि ।